राजस्व अपील संख्याः 110/2023
आर.सी.एम.एस. नं.:-2023/00333

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :- कविता गोदारा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 110/2023
आर.सी.एम.एस. नं.:-2023/00333

1. बीकानेर एग्रो मार्केटिंग प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर, अमित खण्डेलवाल पुत्र देवकिशन, रजिस्टर्ड ऑफिस जी-102, मूल श्री रेजिडेंसी प्लॉट नंबर 29, मिसन कम्पाउण्ड अजमेर रोड़, जयपुर जरिये ओर्थोराईज सिग्नेटरी सुरेश चन्द्र गोयल पुत्र श्री श्यामलाल गोयल जाति अग्रवाल निवासी समर्थ नगर, जालम विलास, पावटा, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बीकनेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 131, 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

अभिभाषक उपस्थितिः-

1. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, अभिभाषक, प्रार्थी के लिए।
2. पेरोकारराज राज्य के लिए।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील संख्याः 110 / 2023
आर.सी.एम.एस. नं.:–2023 / 00333

–:निर्णय:–

दिनांकः– 29/7/24

प्रार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा द्वारा उक्त अनवानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रोही खारा खसरा नंबर 619 / 3 तादादी 1.9000 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के उक्त कब्जे काश्तशुदा खेत का अक्श बैयनामा में दर्ज अक्श के अनुसार तैयार नहीं कर मनमाने तरीके से तैयार करते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि से कम का अक्श तैयार करते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि से कम का अक्श तैयार किया गया है, जो कतई गलत मनमाना एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत होने से प्रार्थी इस दुरूस्त करवाकर अपने खातेदारी खेत का अक्श मुताबिक कब्जा काश्त एवं नाम सही करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रोही खारा खसरा नंबर 619 / 3 तादादी 1.9000 हैक्टर कृषि भूमि का राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया अक्श में दुरूस्त किया जावे। उक्त गलत तरीके कायम किये गये अक्श का दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील संख्याः 110/2023
आर.सी.एम.एस. नं.:–2023/00333

अप्रार्थी स्टेट की ओर से परोकारराज उपस्थित। जवाब प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रोही खारा खसरा नंबर 619/3 तादादी 1.9000 हैक्टर मुताबिक जमाबंदी दर्ज रिकार्ड है जबकि मुताबिक मैट्रिकशीट के खसरा नंबर 619/3 तादादी 1.1460 हैक्टर है तथा कब्जा काश्त है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना–पत्र एवं जवाब स्टेट का अवलोकन किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रोही खारा खसरा नंबर 619/3 तादादी 1.9000 हैक्टर मुताबिक जमाबंदी दर्ज रिकार्ड है जबकि मुताबिक मैट्रिकशीट के खसरा नंबर 619/3 तादादी 1.1460 हैक्टर है तथा कब्जा काश्त है। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र के तहत अनुतोष चाहा गया है। उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की रिकार्डेड खातेदारी भूमि ग्राम रोही खारा खसरा नंबर 619/3 तादादी 1.9000 हैक्टर के नक्शा में जमाबंदी रकबा अनुसार दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील संख्याः 110 / 2023
आर.सी.एम.एस. नं.:–2023 / 00333

निर्णय आज दिनांक 29/7/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

(कविता [illegible])
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर